


FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 325/11/2018

Dated: 23/11/2018

Certified that the "SRINATH PUBLIC SCHOOL" at DINDLI, ADITYAPUR comprised of ground floor, first floor, second floor and third floor owned/occupied by SRINATH PUBLIC SCHOOL have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 23/11/2018 in the presence of SUKHDEO MAHATO, 46, Road No. 4, Sangam Vihar, Sonari, Jamshedpur and that the building /premises is fit for occupancy class NURSURY TO +2 with effect from 23/11/2018 for a period of one years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 23/11/2018 at Jamshedpur by


Signature with seal :
Name : Mr. Rajendra Ram
Designation : Fire station officer,
Adityapur

TO,

SRINATH PUBLIC SCHOOL
SANDHYA SHAMBHU EDUCATIONAL TRUST
DINDLI, ADITYAPUR
JHARKHAND

पत्रांक -325/11/2018
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, आदित्यपुर

दिनांक :- 23/11/2018

सेवा में,

प्राचार्य

श्रीनाथ पब्लिक स्कूल, दिंदली
आदित्यपुर ।

विषय : श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में उपलब्ध अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र का अग्रसरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में सूचित करना है श्रीनाथ पब्लिक स्कूल विद्यालय भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षात्मक व्यवस्था पूरी तरह से संधारित एवं क्रियाशील पाये गये । आपके विद्यालय को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है ।

1. विद्यालय के किसी भी भाग को अनावश्यक बेरिकेट न करें ।
2. विद्यालय के मुख्य भवन के पास पहुँचने का रास्ता किसी प्रकार से बाधित ना हो ।
3. निर्धारित अंतराल पर सभी उपकरणों को संधारित किया जाए यह सुनिश्चित हो ले कि आकस्मिक स्थिति में क्रियाशील रहेंगे ।
4. किसी भी फायर एक्सटीग्यूसर के उपयोग के बाद उसका रिफिलिंग तुरन्त करा लें ।
5. आपात्कालीन स्थिति के लिए Escape Router के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display विद्यालय परिसर में लगाया जाय ।
6. समय-समय पर हाईड्रेन्ट सिस्टम के पानी को Flush Out किये जाने की व्यवस्था रखी जाए ।
7. विद्यालय के कमियों को अग्निशामक यंत्रों के उपयोग एवं जाँच की जानकारी आवश्यक है ।
8. विद्यालय भवन के प्रवेश/निकास द्वार में रेडियम कलर का स्टीकर चिन्ह लगाया जाए ताकि अंधेरे में भी सुगम निकास हो सकें ।
9. सभी आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नं० का डिस्पले कम से कम दो स्थानों पर लगाया जाए ।
10. हाईड्रेन्ट सिस्टम, पी ए सिस्टम, अग्निशामक यंत्रों का नियमित जाँच एक एजेन्सी से कराया जाय ।
11. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय । संधारण के अभाव में ये उपकरण निष्क्रिय भी हो सकते हैं ।
12. समय-समय पर Hydrant के पानी को Flush Out किये जाने की व्यवस्था की जाय ।
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के तिथि से एक वर्ष के लिए वैध है ।

विश्वासभाजन

from
23-11-18

अग्निशामालय पदाधिकारी
आदित्यपुर

अग्निकाण्ड के स्थिति में मोबाईल नं० 9304953415 (आदित्यपुर के लिए) पर सम्पर्क करें ।